

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़

परतीराग बनाम राज सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
28-3-19	<p>आज यह दावा वादी वकील ने उपस्थित होकर पेश किया कार्यालय रिपोर्ट ली गई दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जर्ज सम्मन तलब होकर दिनांक <u>30-4-19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ अलवर</p>	
30-4-19	<p>पञ्जाबी पेशा हई। वकीलवादी उपर। प्रतिवादीगण वकील रिपोर्ट अउप। इतजाद वकील रिपोर्ट पञ्जाबी सिंगल 28-5-19 को पेश हो।</p>	
28-5-19	<p>पञ्जाबी पेशा हई। वकीलवादी उपर। वकीलवादी प्रतिवादीगण की दलील देह पुनः दारवाजा पेशा करे। पञ्जाबी वास्ते दलील सिंगल 30-7-19 को पेश हो।</p>	
30-7-19	<p>पञ्जाबी पेशा हई। वकीलवादी उपर। वकील वकील रिपोर्ट अउप। वकीलवादी प्रतिवादीगण की दलील देह पुनः दारवाजा पेशा करे पञ्जाबी वास्ते दलील सिंगल 18-9-19 को पेश हो।</p>	
18-9-19	<p>पञ्जाबी पेशा हई। वकीलवादी उपर। वकील वकील रिपोर्ट अउप। वकीलवादी प्रतिवादीगण की दलील देह पुनः दारवाजा पेशा करे पञ्जाबी वास्ते दलील सिंगल 31-10-19 को पेश हो।</p>	

31/10/19

पञ्जाबी पेशा हई। वकीलवादी उपर। वकील वकील रिपोर्ट अउप। वकीलवादी प्रतिवादीगण की दलील देह पुनः दारवाजा पेशा करे पञ्जाबी वास्ते दलील सिंगल 19/12/19 को पेश हो।

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

21.8.24

पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
..... कार्य में वर्द्ध है।
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
25/9/24
रीडर

25/9/24

पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
..... कार्य में वर्द्ध है।
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
13.11.24
रीडर

13/11/24

पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
..... कार्य में वर्द्ध है।
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
18.12.24
रीडर

18.12.24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वहील वही उपस्थित।
पत्रावली एलिवेन्डी की तलबी में विचारार्थता है
तलबी हेतु तलबनामा पेश करे। पत्रावली दिनांक
17.1.25 को पेश हो।
उपस्थित अधिकारी
गोविन्दराव (अलकर) रावठ

17.1.25


पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली दीर्घावधि
से नमकी में है। वादीगण को इनके
कारण इस कारण के लिए गये कि
पत्रावली तलबी में है। पत्रावली में नमकी
उत्तर दिए जावे। परन्तु फेर तलबाने
उत्तर नही दिए गये हैं। कि पत्रावली
की कोर्टीया के सुणव है कि दिनांक
28.8.23 को तलबी हेतु कलियु मोरा
दिया गया था। इसके कारण वादीगण
के विरुद्ध पर तलबाने उत्तर नही
02

Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

.....परदीपन..... बनाम राजेश्वर अहवाल.....

प्रकरण सं..... तारीख रजू.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
	<p>के अन्तर्गत अहवाल के रूप में श्री अनन्त अहवाल द्वारा किए गये। पद सम्बन्धित पदों में किए गये। निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत 9 विभाग 05 के अन्तर्गत में वापस स्थापित किया जाना उपरि उल्लिखित है। अतः यह प्रावधान कि 9.4 के अन्तर्गत 9 विभाग 05 के अन्तर्गत स्थापित किया जाना है। पदों में अन्तर्गत अहवाल के अन्तर्गत अहवाल के अन्तर्गत पदों में स्थापित अहवाल है।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज० </p>	